<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रेफरेन्स/एलआर/7146/2006/सवाई माधोपुर
सरकार बनाम हरसहाय वगैरहा</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>

<u>**एकल पीठ**</u>
<u>**श्री सी.आर.मीणा, सदस्य**</u>

<u>**उपस्थित-**</u>
श्री अशोक मेघवंशी, उपराजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री वी. पी. सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

<u>**निर्णय**</u>
दिनांकः- 18-04-2022

यह रेफरेन्स जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 01-8-2006 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पडाना स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 166 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैरमुमूकिन तलाई के रूप मूं जमाबंदी सम्वत 2025 से 2028 में दर्ज थी। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण खातेदारी अधिकार देना वर्जित है। किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि (बाद सेटलमेंट हाल खसरा संख्या 294/0,20,295/0.18 कुल रकबा 0.38 हैक्टर) का आवंटन अनियमित तरीके से सालगा पुत्र सुखलाल मीना के पक्ष में कर दिया। उक्त आवंटन की पालना में कालान्तर में नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 11-6-1972 से गैरखातेदारी तथा नामान्तरकरण संख्या 308 दिनांक 27-7-1976 से खातेदारी अप्रार्थी सालगा के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया। अतः विवादग्रस्त भूमि को</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/7146/2006/सवाई माधोपुर सरकार बनाम हरसहाय वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुनः राजकीय खाते में दर्ज कर गैर मुमकिन तलाई को यथावत रखा जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई अभिशंषाधीन आदेश से यह रेफरेन्स मण्डल को प्रेषित किया है। हमने योग्य उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पूर्ववर्ती राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। तत्कालीन आवंटन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है तथा उक्त आदेश के आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण भी अनुचित है। उनका कथन है कि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन तलाई होने से धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन/पट्टा/खातेदारी देना कानून में वर्जित है। उनका कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 02-8-2004 की पालना में इस प्रकार दर्ज की गई खातेदारी अथवा पटटा को निरस्त कर दिनांक 15-08-1947 की स्थिति बहाल की जानी है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी राजकीय खाते में दर्ज कर उसकी किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज की जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जिस निर्णय का रेफरेंस में उल्लेख किया गया है उनके तथ्य इस प्रकरण पर लागू नहीं होते। यहीं नहीं बिना आवंटन आदेश की निरस्ती के मामले में तस्दीक किए गए नामान्तरकरण निरस्त नहीं किए जा सकते। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/7146/2006/सवाई माधोपुर सरकार बनाम हरसहाय वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी पर अप्रार्थीगण का सम्वत 2016 से कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा काश्त की जा रही है। उनका तर्क है कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार अप्रार्थीगण का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा होने के कारण नियमानुसार आवंटन किया गया है। आगे बताया कि आराजी पर कभी पानी नहीं भरा रहता है तथा न ही वर्तमान मेुं कोई तलाई है। आगे तर्क दिया कि तहसीलदार ने आराजी की स्थिति के विपरीत जांच रिपोर्ट तैयार की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थीगण ने काफी धनराशि व्यय करके भूमि को उपजाऊ बनाया है। अन्त में उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को खारिज करने का निवेदन किया। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पडाना स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 166 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म गैरमुमूकिन तलाई के रूप में जमाबंदी सम्वत 2025 से 2028 में दर्ज थी। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण खातेदारी अधिकार देना वर्जित है। किन्तु आवंटन अधिकारी ने उक्त भूमि में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि (बाद सेटलमेंट हाल खसरा संख्या 294/0,20,295/0.18 कुल रकबा 0.38 हैक्टर) का आवंटन अनियमित तरीके से सालगा पुत्र सुखलाल मीना के पक्ष में कर दिया। उक्त आवंटन की पालना में कालान्तर में नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 11-6-1972 से गैरखातेदारी तथा नामान्तरकरण संख्या 308 दिनांक 27-7-1976 से खातेदारी अप्रार्थी सालगा के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/7146/2006/सवाई माधोपुर सरकार बनाम हरसहाय वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते तथा यह भूमि काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 16 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज होने से सार्वजनिक हित की भूमि है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देना कानून में वर्जित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28-7-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज की गई खातेदारी विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार कर ग्राम पडाना स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 166 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि के क्रम में अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज खातेदारी को निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही विवादित आराजी को पुनः राजस्व रेकार्ड में पूर्ववर्ती गैरमुमकिन तलाई दर्ज किए जाने की आज्ञा पारित की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सी.आर.मीणा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एलआर/7146/2006/सवाई माधोपुर सरकार बनाम हरसहाय वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए